"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2004—आश्विन 9, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 824/2004/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश कमांक 741-42/04/1-8, दिनांक 10 अगस्त, 2004 द्वारा श्री एन. के. भट्टर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-8-2004 से 13-8-2004 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, उक्त अवकाश के अनुक्रम में श्री भट्टर को स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में दिनांक 19-8-2004 तक की वृद्धि स्वीकृत की जाती है.

2. शर्तें, आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्रमांक 725/650/ऊ.वि./2003.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 105/47/ऊर्जा/2003, दिनांक 31 जनवरी, 2004 द्वारा श्री वाय. एन. जौहरी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 6 माह की अवधि, जो भी पहले हो तक नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति की अवधि, जो 31 जुलाई, 2004 को समाप्त हो रही है, में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 6 माह, जो भी पहले हो, तक वृद्धि देता है.

3. नियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें पूर्वानुसार यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2004

संशोधन आदेश

फा. क्रमांक 5316/3 (बी)/7/2004/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5125/3 (बी)/7/2004/21-ब, दिनांक 25-8-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश के पृष्ठांकन क्रमांक 1 की पांचवीं पंक्ति में टंकण त्रुटिवश श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान का होम डिस्ट्रिक्ट जौरा, जिला मुरैना, म. प्र. टंकित हो गया है, उसके स्थान पर होम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, म. प्र. पढ़ा जाये एवं पृष्ठांकन क्रमांक 4 की पहली पंक्ति में टंकण त्रुटिवश स्वर्गीय श्री रामनरेश सिंह चौहान टंकित हो गया है उसके स्थान पर श्री रामनरेश सिंह चौहान पढ़ा जाये.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5419/3 (बी)/17/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 17, राज्य शासन, श्री यशवन्त कुमार सारथी पिता श्री खुशीराम सारथी को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5420/3 (बी)/21/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 21, राज्य शासन, श्री अजीत कुमार राजभानू पिता श्री रामहरि राजभानू को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5421/3 (बी)/19/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 19, राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, पिता श्री विहारी राम को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5422/3 (बी)/20/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 20, राज्य शासन, श्री मनोज कुमार प्रजापति, पिता श्री प्यारेलाल प्रजापति को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5426/डी-2193/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 322/II-2-30/2001/गोपनीय, दिनांक 2-9-2004 के अनुपालन में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए उनकी सेवाएं महामहिम राज्यपाल महोदय के विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5427/डी-2193/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 318/II-2-30/2001/गोपनीय, दिनांक 2-9-2004 के अनुपालन में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री डी. आर. देशमुख, जिनकी सेवायें राज्यपाल सचिवालय में विधि अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश फा. क्रमांक 17 (ई) 2303/21-ब, दिनांक 25-5-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर को सौंपी गई थी, की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुये उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5461/3 (बी)/27/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 27, राज्य शासन, कुमारी स्वर्णलता तिरकी पिता श्री जुनास तिरकी को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2004

फा. क्रमांक 4505/डी-1718/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विवेक कोनेर, अधिवक्ता, सूरजपुर, जिला सरगुजा को फास्ट ट्रेक कोर्ट सूरजपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

फा. क्रमांक 5538/2229/21-ब/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रमाकांत राजवाडे, अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-05 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2004

क्रमांक 862/बी.-14/1/2004/14-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम" को कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित करने का निर्णय लेती है.

Raipur, the 7th July 2004

No. 862/B-14/1/2004/14-2.—State Government hereby decides to establish "Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam" Under the Companies Act, 1956.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 1230/बी-11/8/2004/14-2.—भारत शासन से "फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम" का प्रशासकीय अनुमोदन अभी तक प्राप्त न होने के फलस्वरूप इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 342/बी-11/8/2003-04/14-2, रायपुर दिनांक 17-5-2004 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/15/99/क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग करते हुए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिलों में संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2004 धान असिंचित व धान सिंचित फसलों के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

अनुसूची-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2004 हेतु धान सिंचित/असिंचित फसलों हेतु अधिसूचित की जाने वाली रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिलों की तहसीलों की सूची

क्रमांक (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	धान असिंचित	जिला-रायपुर	1. रायपुर 2. आरंग 3. तिल्दा 4. अभनपुर 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. बलौदाबाजार 8. पलारी 9. कसडोल 10. बिलाईगढ़ 11. राजिम 12. गरियाबंद 13. देवभोग
		जिला-दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. गुण्डरदेही 4. डौण्डीलोहारा 5. धमधा 6. बालोद 7. गुरूर 8. बेमेतरा 9. बेरला 10. साजा 11. नवागढ़
		जिला-राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान 5. डोंगरगांव 6. मोहला 7. अम्बागढ़ चौकी 8. मानपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		जिला-बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड 3. कोटा 4. तखतपुर 5. मुंगेली 6. लोरमी 7. बिल्हा 8. मस्तुरी
2.	धान सिंचित	जिला-रायपुर	1. रायपुर 2. आरंग 3. तिल्दा 4. अभनपुर 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. बलौदाबाजार 8. पलारी 9. कसडोल 10. बिलाईगढ़ 11. राजिम 12. गरियाबंद
		जिला-दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. गुण्डरदेही 4. धमधा 5. बालोद 6. गुरूर
		जिला-राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. डोंगरगांव 4. अम्बागढ़ चौकी
		जिला-बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड 3. कोटा 4. तखतपुर 5. मुंगेली 6. लोरमी 7. बिल्हा 8. मस्तुरी

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक 1407/डी-7/15/03-04/14-3.—छत्तीसगढ ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 9 सन् 1973) की धारा 7 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

7. ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान-ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नलिखित होगा :—

(क) डोजिंग या संबद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रेक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटैचमेंट से युक्त हो, किया जाना हो :—

1.	80 अश्वशक्ति तथा उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर (डोजर)	डी-6	रु. 660/- प्रतिघंटा
		डी-50	रु. 660/- प्रतिघंटा
2.	40 से 50 अश्वशक्ति के बीच के ट्रेक्टर	डी-4	रु. 430/- प्रतिघंटा
3.	60 या उससे अधिक अश्वशक्ति के व्हील टाइप ट्रेक्टर (फ्रंट माउंटेड डोजिंग ब्लेड के साथ)		रु. 370/- प्रतिघंटा

(ख) परिवहन कार्य एवं समस्त कृषि कार्य जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाइप ट्रेक्टर द्वारा किये जाते हैं :—

1.	40 अश्वशक्ति तक के ट्रेक्टर	रु. 220/- प्रतिघंटा
2.	41 से 55 अश्वशक्ति तक के ट्रक्टर	रु. 300/- प्रतिघंटा
3.	रोटावेटर दर	रु. 40/- प्रतिघंटा
4.	40 अश्वशक्ति तक के ट्रेक्टर रोटावेटर के साथ	रु. 260/- प्रतिघंटा

(ग) डोजिंग या संबद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रेक्टरों द्वारा, जो कि कुल डोजिंग अटैचमेंट से युक्त हो, कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाना हो :—

1.	80 अश्वशक्ति तथा उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर (डोजर)	डी-6	रु. 759/- प्रतिघंटा
		डी-50	रु. 759/- प्रतिघंटा
2.	40 से 50 अश्वशक्ति के बीच के ट्रेक्टर	डी-4	रु. 492/- प्रतिघंटा
3.	60 या उससे अधिक अश्वशक्ति के व्हील टाइप ट्रेक्टर (फ्रंट माउंटेड डोजिंग ब्लेड के साथ).		रु. 418/- प्रतिघंटा

उपरोक्त संशोधन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है. यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

Raipur, the 28th August 2004

No. 1407/D-7/15/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Chhattisgarh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Niyam, 1981, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

7. Scale of Tractor Cultivation Charges-The Scale of Tractor Cultivation Charges shall be as follows :—

(a) Dozing or allied works to be done by tractors with bulldozing attachments of different hourse power :—

1.	Tractor of 80 HP and above	D-6	Rs. 660/- per hour
		D-50	Rs. 660/- per hour
2.	Tractor between 40 to 50 HP and above.	D-4	Rs. 430/- per hour
3.	Tractor of 60 HP and above (with front mounted dozing blade).		Rs. 370/- per hour

(b) Agricultural works including the transportation work to be done by tractors of different hourse powers :—

1.	Tractor upto 40 HP	Rs. 220/- per hour
2.	Tractor between 41 to 55 HP	Rs. 300/- per hour
	Rotavator charges	Rs. 40/- per hour
4.	Tractor upto 40 HP with Rotavators	Rs. 260/- per hour

(c) Dozing are allied works to be done for non-agricultural purposes by tractors with bulldozing attachments of different hourse power :—

1.	Tractor of 80 HP and above	D-6	Rs. 759/- per hour
		D-50	Rs. 759/ per hour
2.	Tractor between 40 to 50 HP and above.	D-4	Rs. 492/- per hour
3.	Tractor of 60 HP and above (with front mounted dozing blade).		~~Rs. 418/- per hour~~

The concurrence of Finance Department have been obtained on above amendment.

This amendment shall come into force with effect from its date of publication in official gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

क्रमांक एफ 9-3/16/2004.—चूंकि श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2223/3538/श्रम/2001, दिनांक 28-9-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 (1) के तहत श्रम न्यायालय, रायगढ़ का गठन किया गया है और श्रम न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में से रायगढ़ एवं जशपुर रखा गया है;

और, चूंकि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अधीन गठित प्रत्येक श्रम न्यायालय का पीठासीन पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के लिए कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति के रूप में भी कार्य करता है;

और, चूंकि पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायगढ़, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आयुक्त के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है; और चूंकि राज्य शासन इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में और पक्षकारों की सुविधा के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायगढ़ को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत आयुक्त के रूप में अधिसूचित करना वांछनीय है;

अतएव, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (क्रमांक 4 सन् 1923) की धारा 21 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायगढ़ को उक्त क्षेत्राधिकार के लिए आयुक्त अधिसूचित करता है और उक्त अधिनियम के अधीन रायगढ़ एवं जशपुर राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्रों से संबंधित ये समस्त कार्यवाहियां, जो इस आदेश के दिनांक को आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति तथा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष लंबित थीं, उक्त आयुक्त से प्रत्याहरित (withdraw) की जाती हैं और आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति तथा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायगढ़ को इस आदेश के दिनांक से अंतरित (transfer) की जाती हैं और निर्देशित किया जाता है कि वे श्रम न्यायालय, जिसके उक्त कार्यवाहियां इस प्रकार अंतरित की गई हैं, उसके द्वारा उस चरण (stage) से या आगे के चलाई जावेगी और नियमानुसार आदेश पारित करेंगे.

Raipur, the 20th July 2004

No. F 9-3/16/2004.—Whereas, a Labour Court at Raigarh, comprising the revenue districts of Raigarh and Jashpur, has been established under Section 8 (1) of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 by withdrawing these two districts from the jurisdiction of the Labour Court, Bilaspur vide Labour Department's Notification No. 2223/3538/Labour/2001, dated 28-9-2001;

And, whereas, all the Presiding Officers of the Labour Court constituted under the provisions of Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 function as Commissioner under Workmen's Compensation Act, 1923 also;

And, whereas the Presiding Officers of the Labour Court at Raigarh have not been notified to function as Commissioner under Workmen's Compensation Act, 1923;

And, whereas the State Government is satisfied that it is desirable, in the interest justice and convenience of litigating parties, to notify the Presiding Officer of Labour Court, Raigarh as Commissioner under Workmen's Compensation Act, 1923;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (5) of section 21 of Workmen's Compensation Act, 1923 (No. 4 of 1923), the State Government hereby notifies the Presiding Officer of the Labour Court as the Commissioner under Workmen's Compensation Act, 1923 (No. 4 of 1923) within the jurisdiction of the said Labour Court, and hereby directs that all proceedings arising out of Raigarh and Jashpur Revenue districts, under the said Act and pending before Presiding Officer, Labour Court, Bilaspur, are here withdrawn from said Commissioner from the date of this order, and are hereby transferred to Commissioner, Workmen's Compensation and Presiding Officer, Labour Court, Raigarh, to further with and try those proceedings from the same or next stage as may be relevant, of transfer to that Labour Court, for disposal in accordance with law.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-15/16/2002.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2217/3469/श्रम/2001, दिनांक 28-9-2001 को राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1949) की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद का गठन करता है, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(अ) शासकीय अधिकारी—

(1)	श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर.	:	अध्यक्ष
(2)	उप श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर.	:	सचिव
(3)	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर.	:	सदस्य
(4)	प्रमुख अभियंता, सिंचाई, रायपुर.	:	सदस्य
(5)	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, रायपुर.	:	सदस्य

(ब) नियोक्ता के प्रतिनिधि—

(1)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ	:	सदस्य
(2)	अध्यक्ष, सी. एम. एस. (सीमेंट)	:	सदस्य
(3)	श्री सुभाष अग्रवाल, वंदना एम. जी. रोड रोलिंग मिल, एसोसिएशन, रायपुर.	:	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर	:	सदस्य
(5)	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. कोरबा.	:	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, सी. एस. ई. बी. रायपुर	:	सदस्य
(7)	सुशील कुमार मालनी, लघु उद्योग भरती, डंगाजी कालोनी, रायपुर.	:	सदस्य

(स) श्रमिकों के प्रतिनिधि—

(1) श्री नरेश चौहान, बी. एस. एस. : सदस्य

(2) श्री सुरेन्द्र कुमार राठौड़, बी. एम. एस. : सदस्य

(3) श्री एन. पी. मिश्रा, इंटक : सदस्य

(4) श्री नूतनेश्वर खोब्रागढ़े, एटक : सदस्य

(5) श्री ए. के. लाल, सीटू : सदस्य

(6) श्री योगेशचंद शर्मा : सदस्य

(7) उषा श्रीवास्तव, अंबिकापुर : सदस्य

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-7/श्र. क. म./16/2002.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1447/521/श्रम/2001, दिनांक 9-7-2001 को राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन, कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन करता है :—

1. अध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी

उपाध्यक्ष :

2. सचिव : उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त

3. नियोजक के प्रतिनिधि—

(1) महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र, जिला दुर्ग या उनके प्रतिनिधि
(2) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. विकास भवन जमनीपाली कोरबा, या उनके प्रतिनिधि
(3) श्री कमल सारडा, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर
(4) अध्यक्ष, लघु उद्योग-भारती छत्तीसगढ़ या उनके प्रतिनिधि डंगाजी कालोनी, आयुर्वेदिक कालेज के पास डंगनिया, जी. ई. रोड, रायपुर.
(5) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल या उनके प्रतिनिधि, सचिवालय, डंगनिया, रायपुर
(6) महाप्रबंधक, जिन्दल स्टील एण्ड पावर प्लांट या उनके प्रतिनिधि, जिन्दल नगर, रायगढ़
(7) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सीमेंट उद्योग एसोसियेशन

4. नियोक्ता के प्रतिनिधि—

(1) श्री अरूण चौबे, (भामसं) रेल्वे स्टेशन के पास नयापारा राजिम, जिला-रायपुर
(2) श्री योगेश दत्त मिश्रा (भामसं) ब्राम्हण पारा, राजनांदगांव
(3) श्री तपन चटर्जी (इंटक) हेमुनगर, बिलासपुर.

(4) श्री नूतनेश्वर खोब्रागढ़े (एटक) जयराम बिल्डिंग, शारदा चौक, रायपुर
(5) श्री एम. के. नंदी (सीटू) नूरानी चौक, राजा तालाब, रायपुर
(6) श्री प्रेमलाल यादव (ग्रामीण मजदूर प्रतिनिधि) विद्युत कालोनी, हीरापुर, रायगढ़
(7) श्री राम अवतार अलगमनकर, महामंत्री, इंटक
(8) श्री योगश चन्द्र शर्मा, महामंत्री बी. एम. एस. गुरूदान निवास, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर

5\. स्वतंत्र सदस्य—

(1) श्रीमती रमशीला साहू, विधायक, गुंडरदेही, जिला दुर्ग
(2) श्री मोहन एंटी, अधिवक्ता, एच. एन. 12/1210/रमन मंदिरवार्ड, रायपुर
(3) मेजर अनिल सिंह, अंबिकापुर

6\. शासकीय सदस्य—

(1) श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, 58 गीतांजली नगर, रायपुर
(2) भविष्य निधि आयुक्त, रजबंधा मैदान, रायपुर
(3) कल्याण आयुक्त, भारत शासन, श्रम मंत्रालय, 797 शांतिकुंज साउथ सिविल, लाईन, जबलपुर
(4) श्री अनिल शर्मा, संचालक, पर्यावरण बोर्ड, छत्तीसगढ़ पंचशील नगर, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-6/श्रमसला. प./16/2004.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1446/521/2001/श्रम, दिनांक 9-7-2001 को राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए, छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद के गठन, कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद का गठन करता है :—

1\. पदेन सदस्य—

(1)	माननीय श्रम मंत्री	:	अध्यक्ष
(2)	सचिव श्रम/श्रम आयुक्त	:	सदस्य/सचिव
(3)	सचिव, स्थानीय संस्थाएं नगरीय निकाय	:	सदस्य
(4)	आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल	:	सदस्य
(5)	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	:	सदस्य
(6)	क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन	:	सदस्य
(7)	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, श्रम कल्याण मण्डल	:	सदस्य

2\. नियोजकों के प्रतिनिधि—

(1)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, सचिवालय, डंगनिया, रायपुर.	:	सदस्य
(2)	महाप्रबंधक, बालको, कोरबा	:	सदस्य
(3)	महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई.	:	सदस्य
(4)	उपाध्यक्ष, सेंचुरी सीमेंट, बैकुण्ड	:	सदस्य

(5)	उपाध्यक्ष, प्रकाश इंडस्ट्रीज, चांपा	:	सदस्य
(6)	महाप्रबंधक, बी. ई. सी. भिलाई	:	सदस्य
(7)	श्री महेश कक्कड़, उरला इंडस्ट्रीज एसोशियेशन, रायपुर.	:	सदस्य
(8)	श्री एम. एल. राठी, लघु उद्योग भारती डंगाजी कालोनी, आयुर्वेदिक कालेज के पास, जीईरोड, रायपुर.	:	सदस्य.

3. श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि—

(1) श्री अरूण चौवे, रेल्वे स्टेशन के सामने, राजिम बी. एम. एस., सदस्य
(2) श्री योगश चन्द्र शर्मा, गुरूवन निवास, राजेन्द्र नगर, विलासपुर, बी. एम. एस., सदस्य
(3) श्री रामअवतार अलगमकर, आई. एन. टू. यू. सी., सदस्य
(4) श्री हरनाम सिंह, मकान नं. 874/बी सेक्टर-3, बालको. नगर कोरवा, ए. आई. टी. यू. सी., सदस्य
(5) श्री एस. सुदेवन, क्वा. नं. 11 बी/16 विश्रामपुर कालोरी, जिला सरगुजां, सी. आई. टी. यू., सदस्य
(6) श्री प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, प्रेस क्लब, रायपुर ब्राम्हण पारा, रायपुर
(7) श्रीमती लता दीक्षित, ग्रामीण महिला श्रमिक संगठन, साजा, जिला दुर्ग
(8) श्री तपन चटर्जी, अध्यक्ष, छ. ग. इंटक, आई. एन. टी. यू. सी., सदस्य.

4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत—

(1) श्री बद्रीधर दीवान, विधायक, सीपत
श्री अमृत साहू, महासमुन्द
(3) श्रीमती सरिता शर्मा/48 सिंचाई कालोनी, न्यू शांति नगर, रायपुर
(4) श्री शशी शंकर शुक्ला, असंगठित क्षेत्र कार्यकर्त्ता, जगदलपुर
(5) श्री योगेश लाम्बा, कोरवा, संविदा क्षेत्र कार्यकर्त्ता
(6) श्री विजय केशरवानी, ग्रामीण क्षेत्र कार्यकर्त्ता, बलौदाबाजार, जिला रायपुर
(7) श्री रामनारायण व्यास, अधिवक्ता, विवेकानंद नगर, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-13/2004/(6)11.—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, सिलतरा, रायपुर में स्थापित 5 साइकिल स्पेयर पार्ट्स की इकाईयों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत की छूट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है :—

(1) भू प्रब्याजि में छूट प्राप्त करने वाली इकाईयों को उन्हें आवंटित प्लाट का उपयोग साइकिल स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन हेतु ही करना होगा. यदि छूट प्राप्त इकाई द्वारा उत्पादन बंद कर दिया जाता है या प्लाट का उपयोग किसी अन्य उत्पाद के लिए किया जाता है तो भू-प्रब्याजि की छूट वापस ली जा सकेगी और पूर्ण दर पर भू-प्रब्याजि की राशि वसूल की जाएगी.

(2) इकाई को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के साथ उपर्युक्त शर्त क्रमांक (1) के बाबत करार निष्पादित करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/168.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	धोबनीपाली	0.073	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	देवरघटा माइनर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/203.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प. ह. नं. 9	0.128	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सपिया माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/204.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरतुंगा प. ह. नं. 5	0.154	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डी वाय

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/205.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर प. ह. नं. 9	0.044	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	खुरघुटी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/207.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर प. ह. नं. 9	0.104	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुसुमझर माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

प्र. क. 168/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छोटेकोट प. ह. नं. 11	0.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े कोट माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/227.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	फगुरम प. ह. नं. 9	0.130	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फगुरम ब्रांच माइनर नं. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/240.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	खैरा प. ह. नं. 3	0.295	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	धौंरा वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/241.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बसंतपुर प. ह. नं. 10	0.136	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	डभरा माइनर नं. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/242.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवली	0.860	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	नवापारा उप शाखा वितरक नहर एवं इसकी 3 एल, 4 एल एवं 5 आर माइनर नहर नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/243.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़ प. ह. नं. 9	0.516	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिरियागढ़ माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

प्र. क्र. 163/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	फगुरम प. ह. नं. 9	0.226	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फगुरम सब डिस्ट्रीब्यूटरी

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 41/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	जैमुरा	0.352	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहरें हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 42/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	करपीपाली	0.235	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहरें हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 43/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सोंण्डका	0.351	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 44/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	अंजोरीपाली	0.125	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 45/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गोपीमहका	0.048	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 46/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खरसिया	0.559	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 11 जून 2004

रा.प्र.क्र./24/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सोनबरसा	18.908	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/03-04/991.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	बरगांव	0.179	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	जयरामपारा तालाब नहर निर्माण एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. हेतु.

कांकेर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/03-04/992.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	हाटकोंदल	4.907	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	जयरामपारा तालाब नहर निर्माण एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत-अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नगवाही	4.277	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जून 2004

क्रमांक 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पुटा	2.244	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	पुटा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जून 2004

क्रमांक 23/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बस्ती	1.340	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	पुटा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 491/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/03/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	मरौदा	0.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	मरौदा जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 492/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	आड़पाथर	12.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ड्बान एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 495/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/10/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	परसुली	1.336	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	परसुली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 497/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/11/अ/82/02-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	घटौद	1.055	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गरियाबंद.	घटौद जलाशय के नहर निर्माण

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 493/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/12/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	गिरसुल	5.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 496/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/15/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	मरौदा	0.172	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	मरौदा स्टाप डेम के बांध पार हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 494/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/16/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	बहेराबुड़ा	2.411	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोदोबतर उद्‌वहन योजना के मुख्य नहर के लिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 850/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/02/अ/82/97-98-.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	फिंगेश्वर	2.606	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	फिंगेश्वर उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 932/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/05/अ/82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	बोरिद	1.638	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बोरिद उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 10अ-82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	टण्डवा प. ह. नं. 9	0.113	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिमनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा.	जांत वितरक शाखा नहर के जांत माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 जून 2004

क्रमांक 1136/प्र. 1/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पद्मी प. ह. नं. 8	1.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बालाझार, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.103 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2, 3, 4	1.409
10/9 क	0.146
55	0.332
87/2	0.567
60/1 क	0.380
82/634 क	0.081
59/4 ग	0.567
60/1 ख/3	0.007
82/1 ग	2.355
82/634 ग	0.065
62/7	2.002
64/6 क	0.101
89/2	0.430
76/2	0.405
82/634 ख	0.065
84/3	0.369
61/3	0.300
82/634 घ	0.202

(1)	(2)
61/4	0.101
65/2 ग	0.080
60/1 ड	0.242
87/1 क/1	0.243
87/1 क/2	0.517
10/9 ख	0.100
10/4 क	0.421
66/3/क	0.065
10/12	0.809
64/20	0.729
51/2	0.081
59/4 क/2	0.810
64/4	0.938
58	0.999
66/3/ख	0.218
66/26 ड, 66/27 ड	0.304
61/635	2.663
योग	19.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बालाझार, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.868 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
89/2	0.104
93/क	0.032
93/1 ख	0.032
94/1 क	0.172
145/5	0.104
146	0.168
95/1	0.096
96/1	0.096
147	0.064
योग	0.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तमता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 4.249 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1) तमता मुख्य नहर	
102/2 ख	0.040

(1)	(2)
108/2 क	0.040
111	0.121
116	0.024
126/2	0.088
119/1	0.010
183	0.220
195/2	0.315
196	0.160
203	0.030
201	0.065
202	0.105
204/9	0.053
204/2	0.096
208/2	0.040
126/506/3	0.075
208/1	0.010
225	0.108
226	0.101
227	0.040
226/2	0.032
235	0.118
239/1	0.062
243/1	0.042
246/2 घ	0.048
392/3 ख	0.072
392/3 ग	0.078
373/1 क	0.120
299/1 क	0.243
394/2	0.069
396/6	0.032
395/1	0.081
399/1 ग	0.041
योग	2.775

(2) तमता माइनर

(1)	(2)
383/1	0.078
383/2	0.070
378/2 क	0.020
361/505/1	0.096
378/2 घ	0.020
377/3 ख	0.048
378/1 ज	0.032
378/1 झ	0.024
378/1 ञ	0.016
378/1 ट	0.016
378/1 ख	0.024
378/1 ग	0.020
379/3 क	0.012
373/2 क	0.165
370/3	0.085
369/1	0.276
361/505/2	0.036
373/1 घ	0.048
374/4	0.104
370/1 ड	0.020
370/1 छ	0.020
366	0.020
363/2 छ, 361/1 ख, 362/1 ख	0.228
योग	1.474
कुल योग	4.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-चन्दागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.308 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(1) चन्दागढ़ मुख्य नहर	
176/1	0.065
183/3	0.025
185/31	0.045
754/2	0.073
185/18 क	0.025
756	0.008
योग	0.241
(2) चन्दागढ़ माइनर नहर	
185/4	0.068
185/29 क	0.040
185/20 क	0.024
188/1	0.064
189	0.032
185/24	0.032
188/1	0.072
201/4	0.068
199	0.004
198	0.195
200	0.024
201/2	0.004
203/6	0.040
228	0.004
203/4	0.024
743/1	0.048
742	0.028
741/2	0.016
741/3	0.024
741/4	0.030
773	0.162
772/1-ख	0.064
योग	1.067
कुल योग	1.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.188 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(1) पंडरीपानी मुख्य नहर	
258/3	0.008
56/28	0.113
921/28	0.040

(1)	(2)
921/35	0.152
योग	0.313

(2) पंडरीपानी माइनर नहर क्रमांक 1

60	0.032
56/62	0.032
66	0.004
68	0.012
69/1	0.048
69/2 क	0.048
70	0.064
502/3	0.032
502/2 क	0.016
502/4	0.020
138/1	0.085
72/1 ख	0.016
138/2 क	0.072
142/2	0.116
योग	0.669

(3) पंडरीपानी माइनर नहर क्रमांक 2

346	0.065
347	0.060
348	0.085
349/1	0.032
349/2	0.032
351	0.140
354	0.148
355	0.154
366/1	0.024
366/2	0.024
902	0.068
352	0.104
901	0.048
908/1	0.048
898/6	0.060
89/8/5	0.060

(1)	(2)
899	0.054
योग	1.206
कुल योग	2.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-चंदागढ़ (दर्जेआपारा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.848 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1) चंदागढ़ माइनर नहर	
82/2	0.032
80/1	0.016
82/1	0.064
80/3	0.074
80/4	0.048
82/3	0.016
81/2	0.132

(1)	(2)
80/2 ञ	0.076
80/2 क	0.142
80/2	0.008
91	0.184
90	0.048
79/3	0.008
योग	0.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुड़केल (खजरी)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1) कुड़केल माइनर नहर क्रमांक 1	
294/3	0.038
294/4	0.038
394/5	0.038
296	0.052
297/1	0.032
246/1	0.032
297/2	0.032
346/2	0.026
297/3	0.032
346/3	0.026
297/4	0.032
346/4	0.012
297/5	0.080
303/2	0.036
303/3	0.156
300/1 ग	0.092
300/2 क	0.032
300/1 ड	0.152
300/1 घ	0.184
341	0.102
342/6	0.008
344	0.276
345	0.045
342	0.009
योग	1.562
(2) कुड़केल टेल माइनर	
245/8	0.048
299/2	0.028
288	0.068
244	0.008
245/6	0.008
243	0.104
286/2	0.152
280/3	0.112
286/3 ख	0.124
280/1 ग	0.076
279/1	0.164
277/1	0.068
278	0.068
376	0.040
375	0.012
377	0.032
373/3	0.048
400/1	0.072
374/1 क	0.184

(1)	(2)
399	0.058
योग	1.494
कुल योग	3.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के कुड़केल माइनर नहर एवं टेल माइनर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/95-96/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोंडागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कमेला, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-158.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
49/20	0.093
49/19	0.093
49/12	0.910
122	0.987
146	0.991
147	0.295
154	0.344
160/2	0.210
161/1	0.578
83/26	0.364
146/5	0.344
152/5	2.185
83/28	2.752
58	2.922
160/3	0.486
160/4	0.324
146/11	0.162
51/3	0.121
127/2, 129	3.306
49/29	0.283
123	9.632
149	2.169
157	0.138
124/6	0.364
124/7	0.728
131	0.479
49/28	0.324
144/1, 148/1	2.691
146/2, 148/3	0.344
159	0.231
146/10	1.214
84/7, 53/2	1.538
49/26	0.166
49/7	0.161
128	0.688
150	2.873
152/4	0.081
46/1, 47/1, 49/5	0.862
49/21	0.133
49/9	0.150
125	0.053
134	0.161
141/1	2.278
124/3	0.352

(1)	(2)
126	1.437
135	1.428
48, 49/4, 49/8	0.502
12/6	0.809
12/3	1.031
12/7	0.405
12/5	2.914
12/8	0.607
12/16	0.619
12/9	0.607
12/15	1.619
12/18	0.040
12/10	0.405
12/14	1.335
12/13	1.376
46/2, 47/2, 49/13	0.862
49/16	0.146
49/22	0.138
132	1.210
124/4	0.405
49/2, 49/4, 53/1	5.097
49/5	0.198
124/5	0.133
141/2	0.202
140	1.051
45	2.177
41/2	0.080
117	0.405
136	1.011
146/4	0.688
146/8	0.769
146/9	0.971
160/5	0.910
49/3, 47/3, 49/14	0.862
49/17	0.145
49/23	0.138
49/11	0.262
12/11	1.781
12/12	0.910
156	0.570
158	0.138
12/17	9.874
61/19	0.809
12/19	0.648
12/2	0.445
83/34	1.700
133/1	0.040
59	0.161
142/1, 143/1, 127/1, 27/3	11.125
151/1	18.822
130	1.210
144/2, 148/2	4.452
146/7	0.789
116	0.728
133/2	0.708
51/5	0.202
51/6	0.121
152/2, 152/3	0.306
155/2, 161	5.430
155/4	0.607
162/2	0.202
46/4, 47/4, 49/15	0.866
49/18	0.146
49/24	0.133
124/2	0.494
61/2	1.562
136/2	0.857
144/1 ख	0.445
146/10 ख	1.214
148/1	1.416
148/3	0.344
योग	158.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2004

क्रमांक 01/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बेलगहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172/1	0.065
	161/2	0.016
योग	2	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कार्यालय एवं सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्रमांक 6193/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-बासनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.420 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22	0.445
	23	0.048
	27	0.558
	42	1.152
	43	0.145
	47	0.072
योग		2.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बासनपुर व्यपवर्तन योजना के नहर/नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2004

क्रमांक 5580/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरडीहकला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	726	0.52
	727	0.20
योग	2	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेम्हरा जलाशय की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनु-विभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नवागढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
261	0.14
317	0.20
328	0.01
329/2	0.13
321	0.16
2618	0.02
329/1	0.22
331/1	0.08
332	0.12
920	0.09
676	0.03
2619	0.10
677	0.20
2627	0.20
2614	0.14
2607	0.12
2592	0.16
2605	0.16

(1)	(2)
2600	0.08
2601	0.20
2602	0.07
2613	0.13
2604	0.10
2590/2	0.03
330	0.04
योग	2.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छेरकापुर माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कामता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
152	0.07
73	0.07
107	0.02
123	0.06
995	0.61
योग	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामता जलाशय निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 19/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.19
78	0.07
79	0.10
94	0.12
95/2	0.11
98/2	0.17
80	0.18
99	0.01
100	0.31
685	0.01

(1)	(2)
101	0.01
602	0.14
591	0.05
671	0.04
672	0.08
689	0.03
673	0.03
585	0.04
581	0.02
686	0.24
687	0.06
688	0.07
690	0.10
749	0.04
751	0.01
752	0.01
753	0.03
1229	0.06
750	0.02
748	0.03
743	0.04
747	0.05
744	0.01
745	0.03
824	0.01
825	0.02
826	0.07
746	0.03
927	0.02
1307	0.08
828	0.13
926	0.11
941	0.06
1224	0.11
1230	0.04
1227	0.01
1228	0.08
1234	0.01
1280	0.18
1281	0.03
1279	0.02
1306	0.10

(1)	(2)
1309	0.02
1305	0.09
1310	0.10
1314	0.09
1317	0.01
1313	0.08
1318	0.01
1320	0.16
1324	0.13
1322	0.02
1323	0.12
929	0.01
1330	0.08
1331	0.01
930	0.02
939/6	0.03
81/1	0.03
597/1	0.11
597/2	0.21
606/1	0.01
599/1	0.20
603/1	0.01
603/2	0.03
98/1	0.01
योग	5.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हथमुड़ी व्यपवर्तन मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 22/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-खिलोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
982	0.02
1002	0.14
1003	0.01
1001	0.10
998	0.02
997	0.05
999	0.08
योग	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत तिलईकुड़ा माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 10 जून 2004

क्रमांक 6/अ-82/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित (1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-नोंगापुर, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.53 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
88/1	0.26
89/2	0.22
91	0.23
92/1	0.17
155/1	0.22
261/3	0.14
140/1	0.30
141	0.26
408/2	0.16
98, 99	0.24
256/1	0.15
256/2	0.08
258	0.26
261/1	0.21
261/4	0.14
266/1	0.17
95	0.28
262/2	0.12
97/2	0.17
389/4	0.12
140/5	0.18
257	0.03
351	0.32
361/2	0.19
365	0.32
407/1	0.20
144/1	0.17
147/2	0.23
153	0.19
154/1	0.04
154/2	0.07
254/1	0.10
254/2	0.19

(1)	(2)
158/1	0.02
350	0.23
407/2	0.21
267	0.22
319/1	0.02
273/1	0.15
361/1	0.19
389/1	0.46
387/1	0.29
408/1	0.17
352	0.36
388	0.14
266/2	0.11
363/1	0.18
363/2 क	0.23
264	0.19
100/2	0.23
योग 50	9.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फोंक व्यपवर्तन योजना से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 251/भू-अर्जन/अ.वि.अ/40-अ/82/सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गोधामुड़ा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
78/1	0.06
97/1	0.14
78/2	0.07
97/2	0.11
85	0.03
79	0.02
80	0.01
224	0.03
225	0.02
81	0.01
100	0.30
94	0.20
104	0.10
127	0.09
132, 289	0.18
134	0.06
138	0.06
287	0.13
251	0.10
283	0.04
139	0.04
140	0.21
257	0.10
267	0.07
221	0.04
259/2	0.11
256	0.04
223	0.04
255	0.04
254	0.01
231	0.06
250	0.01

(1)	(2)
245	0.05
242	0.06
246	0.10
248	0.04
योग 37	2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली योजना के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्रमांक 3/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.922 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
108/1 ख, 108/3	0.081
195, 197	0.012
230/4	0.008
250	0.012
265/1, 266	0.045
270	0.096
307	0.004
267, 268, 269	0.032
271	0.045
328	0.146
335/4	0.052
325/2	0.141
223	0.040
487/1	0.012
487/5	0.004
488/2, 488/3	0.008
332	0.068
487/3	0.004
487/2	0.004
468	0.108
योग	0.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- अरसिया माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्रमांक 4/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1320	0.020
1325	0.048
1328	0.036
1329	0.012
1353/6	0.040
1353/7	0.016
1438	0.036
1353/1	0.028
योग	0.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चोरभट्टी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्रमांक 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
438/1	0.016
452/2	0.016
449/2	0.004
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तुषार माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2003

क्रमांक 14/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.754 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330/4	0.057
322	0.020
337/3	0.008
337/2	0.012
337/1	0.040
21/3	0.028
21/5	0.006
35/1	0.008
62/2	0.008
32/1, 33	0.034
32/2	0.024
36/1	0.012

(1)	(2)
60, 61	0.008
58	0.012
158	0.004
161/2	0.105
191, 189/1	0.016
190	0.024
333/1	0.057
320/1	0.231
59	0.040
योग	0.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2003

क्रमांक 15/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.433 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456	0.020
457/1	0.010
465/1	0.028
457/2	0.053
463	0.012
574/2	0.061
566/1	0.004
594	0.012
600	0.012
602/2	0.012
1365/2	0.008
603	0.016
602/1	0.004
1239/1, 1240/1	0.008
1223/1	0.008
1166/2, 1667, 1168	0.014
1169	0.008
1223/3	0.040
1212/2	0.006
1210	0.016
1342/2	0.012
1363	0.008
469/3	0.053
599/2	0.008
योग	0.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अगस्त 2004

प्र. क्र. 638/अ-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कटेंद, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.183 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
393/1	0.077
47/1	0.069
392/1	0.057
389	0.016
393/2	0.012
388, 390	0.243
386	0.045
39	0.149
1008	0.069
381	0.008
384, 385	0.073
80/2	0.069
37/1	0.012
46	0.028
1005/1	0.008
36	0.012
48	0.121
49/1	0.109
64/1	0.028
51/2	0.057
81/1	0.008
81/2	0.133
1292	0.004
77	0.121
63/2	0.028
76/2	0.045
75/2	0.065
75/1	0.069
115/1	0.008
116	0.020
1306/2, 1278	0.206
114	0.064
128	0.065
126	0.032
127/1	0.065
223/1	0.069
124	0.174
156	0.036
171	0.020
158	0.069
157	0.032
172	0.049
944	0.036
159	0.004
173/1	0.012
179/1	0.024
179/2	0.032
178	0.061
185/1	0.016
181	0.020
180	0.036
182	0.040
183	0.049
223/3	0.069
222	0.073
184	0.012
224	0.020
1164/2	0.028
1161	0.024
230/2	0.008
221	0.061
1163	0.085
1005/2	0.069
953	0.012
954	0.133
1171	0.081
1006/1	0.061
1006/2	0.057
1287	0.008
1288	0.008
1290	0.004
1291	0.004
1293/3	0.004
1004	0.032
952/1	0.061
951	0.057
943	0.028
945	0.109
1286/2	0.109
योग 79	4.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कांसा माइनर मिनरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 314/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कनाईडीह, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151, 152	0.251
योग	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेमुड़पार सब डि वाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 315/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655/2	0.016
653, 654	0.045
673/18	0.053
योग	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेमुड़पार सब डि वाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 316/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेमुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126/6	0.089
126/7	0.061
70/2	0.101
69/2 क	0.045
योग	0.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुसमुल माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 317/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हैक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
770/31	0.121
878, 879/2	0.109
योग	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 318/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अण्डा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342/1-14	0.008
322/2	0.049
योग	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है [illegible] स्पूरी में R. D. नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 31/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भांटा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.231 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408/3	0.137
227/3	0.097
योग	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भाटा माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 320/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
275/1	0.049
3/3, 4	0.061
319	0.020
1/1	0.020
योग	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खुरघटी ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 321/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भावनोपाली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/1	0.032
290/1	0.162
30/2	0.028
योग	0.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर से आर. डी. नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 322/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बांधापाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/2	0.020
180	0.020
105/1	0.012
174	0.045
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-केकराभाट ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 323/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241/3	0.040
241/1	0.020
204/3	0.012
199/2, 1203	0.032
928/3, 6	0.048
योग	0.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चुरतेली डायरेक्ट माइनर नं. 5 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 324/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेमुड़पार, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.503 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
622/13	0.028
629/1	0.036
667/2	0.036
622/8	0.020

(1)	(2)
663/2	0.028
679/6	0.040
704/5	0.012
713/6	0.020
704/8	0.081
688	0.081
679/5	0.081
665/1	0.040
योग	0.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेमुड़पार माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 325/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भांटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
431/6	0.089
431/5	0.061
योग	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है सिंचाई विस्तार नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 326/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
396/2	0.049
396/4	0.028
395/3	0.020
367/4	0.049
423/3	0.012
योग	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बड़ेमुड़पार सब डिवाय नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2004

क्रमांक 327/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.181 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
99/3	0.125
162	0.020
175/1	0.020
174	0.016
योग	0.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 327/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
634/1	0.061
500/1 ग	0.004
500/1 घ	0.004
614	0.004
500/1	0.020
417/6	0.012
541/1 क	0.040
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है कुरदा सबडिवाय

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 328/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम- कुरदा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.237 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634/4	0.101
638	0.028
639/2 ख	0.028
639/1 क	0.020
639/2 क	0.036
639/2 ग	0.024
योग	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-छपोरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 329/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भडोरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.190 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285/24	0.020
284, 279/1	0.146
279/2	0.069
278/1	0.004
278/2	0.061
278/3, 4	0.068
276/1	0.081
275/1	0.053
275/2	0.081
273	0.057
575/4	0.081
735, 580/1	0.073
271, 260/2	0.142
269/1	0.040
269/2	0.040
583/2	0.024
267	0.053
266/1	0.097
योग	1.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भड़ोरा माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 330/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सोनादुला, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
936/1	0.076
915/2	0.088
योग	0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करिगांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 331/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेरबेली, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551	0.085
436/1	0.012
428/2	0.012
411/2	0.020
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेरबेली माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 332/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम चंदोरा, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.889 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
662	0.036
661/2	0.097
642, 647/1	0.235
646	0.008
648	0.012
643, 644, 645	0.089
639, 640	0.02
689, 690/3	0.166
690/1	0.077
707/1, 2	0.089
706/1	0.008
706/2	0.012
706/3	0.012
704/2	0.057
708, 703	0.202
703, 704/1	0.061
506, 507508	0.194
513	0.109
518	0.057
521/1, 3	0.061
536/2	0.036
537.	0.036
526, 527,534	0.021
535	0.021

(1)	(2)
1013/3	0.214
577/4	0.04
1026/1	0.121
1027	0.1
1023/1, 1025	0.036
1024/1	0.028
1030/2	0.081
1030/3	0.069
1032/1	0.243
1038/4	0.008
1033	0.21
1036	0.032
1034/1	0.332
517/3	0.065
512/2, 3	0.01
512/2	0.089
520	0.016
1030/1	0.101
योग	3.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करिगांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 333/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेरबेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
645/3	0.024
646	0.008
645/1, 2	0.020
योग	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बड़ेरबेला माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 334/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सकरी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
909/2	0.032
831/2	0.024
894/1	0.012
योग	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है करगी ब्रांच माइनर 5

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 335/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटेरबेली, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/5	0.061
302/10	0.024
339/2	0.032
352/3	0.012
344	0.040
647	0.068
योग	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-छोटेरबेली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 336/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
689/6	0.081
283/4	0.016
192/10	0.077
286/5	0.008
331/5	0.008
283/1	0.028
योग	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 337/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चंड़रबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
921/1	0.020
930/2	0.004
891/1, 892, 895	0.036
योग	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-छोटेरवेली माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 338/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंदौरा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.02
514	0.073
515	0.057
305/2	0.057
710	0.028
485/2	0.032
485/1	0.032
485/3	0.032
500	0.016
501/2	0.02
482/1	0.069
484/2	0.02
478	0.036
476/1	0.032
479	0.024
475	0.04
474/1	0.028
474/2	0.012
473/1	0.304
542, 541	0.101
543	0.065
558/11	0.02
544/2	0.032
557/2	0.032
553/3	0.012
553/2	0.012
553/1	0.045
552	0.036
549/2	0.032
553/4	0.012
548	0.057
544/3, 545/3	0.02
योग	1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करिगांव माइनर I.—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 339/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-औरदा, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190/3, 195/2	0.020
194/2	0.008
192/2, 193/1	0.012
191/2	0.012
433	0.008
योग	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 340/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अमलीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु	
1194/2	0.125
1193	0.016
1435/3	0.028
1437/4	0.012
योग	0.181
अचरितपाली सबमाइनर नहर निर्माण हेतु	
1419/1	0.024
1424/3	0.020
1424/6	0.024
1424/4	0.081
1428/2	0.028
1428/3	0.097
1430/3	0.081
1199/3	0.008
1431/3	0.032
1432	0.065
1435/6	0.073
1435/3	0.024
1438/1	0.012
1445/3	0.069
1448/2	0.049
1428/1	0.040
कुल योग	0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अमलीडीह ब्रांच सब माइनर एवं अचरितपाली सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 341/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-सकर्रा प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.008
46/1	0.004
67/2	0.024
67/5	0.008
79/2	0.020
55/6, 7, 8	0.016
67/1 ग	0.008
67/1	0.004
योग	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 342/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1282/2	0.061
1282/1	0.085
1233/10	0.243
1233/19	0.020
1240/6	0.061
1233/31	0.101
1240/4	0.061
1239/3	0.182
1241/4	0.036
1284/5	0.089
1284/1	0.077
1279/1	0.065
1279/2	0.081
1279/3	0.049
1286/1	0.138
1286/2	0.182
1286/3	0.045
1297	0.089
योग	1.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अड़भार माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 343/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेरबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.434 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
496	0.024
479/2	0.008
483	0.016
481/2	0.126
479/4	0.089
479/1	0.016
531/2	0.069
614/1	0.008
615	0.093
616	0.028
632	0.012
627/1	0.121
629/2	0.061
626/1	0.049
1362	0.284
633/2	0.049
1358	0.061
1356/2	0.292
1346	0.142
1351	0.069
1439/1	0.146
1439/2	0.089
1362/1	0.174
1362/4	0.024
1350/1	0.041
1350/2	0.024
624/2	0.089
1307/1	0.109
505	0.101
531/1	0.020
योग	2.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेरबेली उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 344 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चंदोरा, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.841 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1156/1	0.016
1163/1, 2	0.382
1164/3	0.033
1167	0.046
1168	0.040
1166	0.053
981/5	0.022
998/1	0.009
996/2, 998/3, 999, 1000/2	0.017
995	0.161
633/3	0.065
997	0.029
1004	0.036
1005	0.020
1279, 291	0.138
589	0.053
591	0.041
590/1, 2	0.033
651	0.061
660/1	0.012
661/2	0.013
658	0.041
657	0.005
656, 664	0.068

(1)	(2)
669	0.045
672/2, 3	0.093
665	0.061
592/2	0.073
592/1	0.054
674, 827	0.041
825	0.016
824/2, 3	0.032
835/2	0.012
835/3	0.021
838/3	0.004
836/1	0.020
838/1	0.077
846, 847	0.284
357, 358	0.235
896/3	0.105
841	0.048
355, 356	0.020
1170/5	0.126
359	0.048
840	0.032
योग	2.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 345/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-करिगांव, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.472 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
117	0.081
126	0.032
127/1, 127/2	0.016
130	0.012
131	0.016
132/1	0.024
132/2	0.008
132/3	0.008
132/4	0.008
135, 143, 144	0.032
136	0.024
137/1	0.024
139/11	0.057
151, 139/2	0.024
282/1	0.049
280	0.045
281	0.061
279	0.061
179	0.129
173	0.040
174/2	0.024
174/1	0.024
176	0.008
175/1	0.012
175/2	0.020
175/3	0.012
175/4	0.012
162/1	0.008
162/2	0.008
160	0.032
161	0.008

(1)	(2)
159	0.016
211/2	0.049
211/1	0.04
212/2, 219	0.129
218/2	0.093
218/1	0.121
217	0.004
216	0.101
योग	1.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करिगांव सब माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 346/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/2	0.028
140/6, 153/2	0.081
779/3	0.486
195/1	0.032
79/1	0.049
15	0.044
145/2	0.016
161/3	0.016
50/1	0.016
योग	0.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कन्दा मिनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 347/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम बड़े रबेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1285	0.113
1094	0.069
1092/2	0.053
1126	0.105
1288/2	0.040
950, 942/2	0.064
927/1	0.036

(1)	(2)
928/1	0.036
1080/3	0.117
955	0.040
932/1	0.060
1018/3	0.020
929	0.052
योग	0.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़े रबेली माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रतनमहका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147/2	0.040
योग 1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -नर्स को पहांन से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2003 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम- छोटेमुड़पार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/9	0.053
203/1	0.049
203/8	0.028
262	0.101
263/2	0.008
264/5	0.028
264/7	0.028

(1)	(2)
264/3	0.057
266/3	0.089
योग 9	0.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-करपीपाली
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.204 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/1, 15/2	0.040
2	0.012
21/4	0.020
21/1, 26/1	0.072
21/3	0.061
29	0.036
41/3	0.040
162/3	0.052
301/4	0.032
293	0.020
301/3	0.020
135/4	0.040
135/8	0.040
371	0.097
41/1	0.045
27/3	0.024
5	0.182
6/1	0.109
6/2	0.012
7	0.121
8	0.109
योग 21	1.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/10	0.012
19/2	0.012
योग 2	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-खरसिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
201/1	0.065
योग 1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-फूलबंधिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221	0.020
222	0.008
362	0.040
359/2	0.016
योग 4	0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-फूलबंधिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/2	0.053
योग 1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-करूमौहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/2	0.020
19/1	0.012
5/3	0.101
योग 3	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140/3	0.109
योग 1	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-मदनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141	0.081
276/1	0.008
276/3	0.008
274/1 क	0.020
274/1 ख	0.024
योग. 5	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-ठुसेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
640/4	0.093
593	0.032
607/4	0.044
602/2	0.040
607/2	0.142
638/1 ग	0.121
637/1	0.008
योग 7	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140/3	0.170
योग 1	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.341 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
644/3	0.012
214/5	0.024
314/3	0.020
329/2, 330/2	0.113
164/2, 173	0.012
315/1	0.040
310/1	0.020
349/5	0.024
220/2, 221	0.012
337	0.028
612/4	0.016
147/2, 148/1	0.020
योग 12	0.341

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-मदनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220, 221	0.004
162/2	0.012
162/1	0.069
42/3	0.016
232	0.113
योग 5	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-खरसिया
  (ग) नगर/ग्राम-आड़ाझर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82/3	0.028
	236/1	0.061
	237, 236/3	0.061
योग	3	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान). अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-खरसिया
  (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	563/3	0.053
	548/2, 549	0.251
योग	2	0.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल डगनिया-रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

क्रमांक क/सदस्य सचिव/छराविम/अधिसूचना/113.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल जो वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (अ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत है, द्वारा राज्य में विद्युत पारेषण व वितरण व्यवस्था के उन्नयन जो उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, निर्बाध व गुणवत्ता सहित विद्युत प्रदाय हेतु आवश्यक है, के निम्नलिखित निर्माण कार्य प्रस्तावित करती है.

जनहित में आम जनता को उक्त कार्यों की संसूचना हेतु राजपत्र में प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित हैं. प्रकाशन की तिथि के 2 (दो) माह पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1. **नाम** :— ये परियोजनाएं 400 के. व्ही., 220 के. व्ही. एवं 132 के. व्ही. लाइनों, उपकेन्द्रों एवं संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजना कहलायेंगी.

2. **क्षेत्र** :—विभिन्न परियोजनाओं का क्षेत्र निम्नानुसार है :—

(अ) **220 के. व्ही. उपकेन्द्र :—**

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता
1.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र बेमेतरा	1 × 160 एवं 1 × 40 एम.व्ही.ए.
2.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र महासमुंद	1 × 160 एवं 1 × 20 एम.व्ही.ए.
3.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र चाम्पा	1 × 160 एवं 1 × 40 एम.व्ही.ए.
4.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र विश्रामपुर	1 × 160 एम.व्ही.ए.

(ब) **132 के. व्ही. उपकेन्द्र :—**

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता
1.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र घरघोड़ा	2 × 12.5 एम.व्ही.ए.
2.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र पिथौरा	1 × 20 एम.व्ही.ए.
3.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र बलरामपुर	1 × 20 एम.व्ही.ए.
4.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र जशपुर	1 × 20 एम.व्ही.ए.
5.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र तुलसी	1 × 20 एम.व्ही.ए.
6.	नवागढ़	1 × 40 एम.व्ही.ए.
7.	साजा	1 × 20 एम.व्ही.ए.
8.	सरोना (अटारी) टाटीबंद	1 × 40 एम.व्ही.ए.
9.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र गुंडरदेही	1 × 40 एम.व्ही.ए.
10.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र बरमकेला	1 × 40 एम.व्ही.ए.
11.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र सेक्टर सी उरला	1 × 40 एम.व्ही.ए.

(स) **ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि :—**

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता
1.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र उरला	1 × 160 एम.व्ही.ए. (अति.) एवं 1 × 40 एम. व्ही. ए. (अति.)
2.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र रायगढ़	1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
3.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र गुरुर	1 × 160 एवं 1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
4.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र बलौदा बाजार	1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
5.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र सारंगढ़	1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
6.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र सक्ती	1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
7.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र अकलतरा	1 × 40 एम.व्ही.ए. (अति.)
8.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र अंबिकापुर	2 × 20 से 2 × 40 एम.व्ही.ए.
9.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र मोपका	20 से 40 एम.व्ही.ए.
10.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र रायगढ़	2 × 20 से 2 × 40 एम. व्ही. ए.
11.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र बिश्रामपुर	16 से 40 एम.व्ही.ए.
12.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र जगदलपुर	20 से 40 एम.व्ही.ए. एवं 12.5 से 20 एम.व्ही.ए.
13.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र किरन्दुल	12.5 से 20 एम.व्ही.ए.
14.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र कोरबा (पूर्व) पावर हाऊस.	20 से 40 एम.व्ही.ए.
15.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र कोरबा (पश्चिम) पावर हाउस.	1 × 100 एम.व्ही.ए. (अति.)
16.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र राजनांदगांव	20 से 40 एम.व्ही.ए.
17.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र सिमगा	16 से 40 एम.व्ही.ए.
18.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र दर्री	12.5 से 20 एम.व्ही.ए.
19.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र पत्थलगांव	12.5 एम.व्ही.ए. (अति.)
20.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र कवर्धा	20 एम.व्ही.ए. (अति.)
21.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र कांकेर	20 एम.व्ही.ए. (अति.)
22.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र रुआबांधा	40 एम.व्ही.ए. (अति.)
23.	132 के. व्ही. उपकेन्द्र कचना	40 एम.व्ही.ए. (अति.)
24.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र भाटापारा	160 एम.व्ही.ए. (अति.)

(द) **400 के.व्ही. पारेषण लाइनें :—**

क्रमांक	पारेषण लाइनों का नाम	लम्बाई
1.	400 के. व्ही. कोरबा (पश्चिम) पा.हा. से खेदामारा-भिलाई डीसीडीएस लाइन.	200.00 कि.मी.
2.	400 डी.सी.डी.एस. लाइन से कोरबा (पश्चिम) पावर हाउस को एन.टी.पी.सी. कोरबा पावर हाउस से जोड़ने वाली लाइन.	6.00 कि.मी.

(इ) **220 के.व्ही. पारेषण लाइनें :—**

क्रमांक	पारेषण लाइनों का नाम	लम्बाई
1.	220 के.व्ही. कोरबा (पूर्व) पा. हा. से भाटापारा डीसीडीएस लाइन.	120.00 कि.मी.
2.	220 के.व्ही. भाटापारा से बेमेतरा डीसीडीएस लाइन	60.00 कि.मी.
3.	220 के.व्ही. भाटापारा-पीजीसीआईएल. डीसीडीएस लाइन को 220 के.व्ही. उरला उपकेन्द्र तक जोड़ना.	10.00 कि.मी.
4.	220 के.व्ही. भाटापारा-महासमुंद डीसीडीएस लाइन	82.00 कि.मी.
5.	220 के.व्ही. भिलाई-बारसूर की द्वितीय सर्किट को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र गुरूर तक जोड़ना.	6.50 कि.मी.
6.	कोरबा (पूर्व) पा. हा. क्र. 1 एवं 2 को जोड़ने वाली 220 के.व्ही. लाइन का पथ परिवर्तन.	4.10 कि.मी.
7.	220 के.व्ही. कोरबा-भाटापारा सर्किट एक को 220 के. व्ही. उपकेन्द्र चाम्पा को जोड़ने वाली डीसीडीएस लाइन.	15.00 कि.मी.
8.	220 के.व्ही. कोरबा (पूर्व) पा.हा. को कोरबा (पश्चिम) पा. हा. से जोड़ने वाली डीसीडीएस लाइन.	6.00 कि.मी.
9.	400 के. व्ही. पीजीसीआईएल उपकेन्द्र भाटापारा से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र भाटापारा को जोड़ने वाली 220 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन.	5.00 कि.मी.
10.	कोरबा (पूर्व) पा.हा. से भाटापारा प्रस्तावित 220 के.व्ही. डबल सर्किट लाइन को 400 के.व्ही. पीजीसीआईएल उपकेन्द्र भाटापारा को जोड़ना.	8.00 कि.मी.
11.	220 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन से 100 मे. वा. कोरबा (पूर्व) पावर हाउस को कोरबा (पश्चिम) पावर हाउस को जोड़ने वाली लाइन.	6.00 कि.मी.
12.	220 के.व्ही. उरला-सिलतरा रजिंदर स्टील लाइन द्वितीय सर्किट में तार खींचना.	7.00 कि.मी.
13.	220 के.व्ही. सिलतरा से स्वीचिंग उपकेन्द्र सिलतरा	2.19 कि.मी.
14.	220 के.व्ही. डीसीडीएस कोरबा-बिश्रामपुर लाइन	150 कि.मी.

(फ) **132 के.व्ही. पारेषण लाइनें :—**

क्रमांक	पारेषण लाइनों का नाम	लम्बाई
1.	132 के.व्ही. बिश्रामपुर-अंबिकापुर लाइन के द्वितीय सर्किट का तार खींचना.	25.00 कि.मी.
2.	132 के.व्ही. घरघोड़ा उपकेन्द्र हेतु डीसीडीएस लाइन	5.00 कि.मी.
3.	132 के.व्ही. कोतमीकला से मनेन्द्रगढ़ डीसीएसएस लाइन	60.00 कि.मी.
4.	132 के.व्ही. सरायपाली से पिथौरा डीसीएसएस लाइन	60.00 कि.मी.
5.	132 के.व्ही. बिश्रामपुर से बलरामपुर डीसीएसएस लाइन	90.00 कि.मी.
6.	132 के.व्ही. पत्थलगांव से जशपुर नगर डीसीएसएस लाइन	105.00 कि.मी.

क्रमांक	पारेषण लाइनों का नाम	लम्बाई
7.	132 के.व्ही. कोरबा (पूर्व) पा.हा.-बिलासपुर लाइन को मोपका उपकेन्द्र तक डीसीडीएस लाइन.	5.00 कि.मी.
8.	132 के.व्ही. रायगढ़-सारंगढ़ लाइन को डबल सर्किट	49.00 कि.मी.
9.	132 के.व्ही. सारंगढ़-सरायपाली लाइन को डबल सर्किट	57.00 कि.मी.
10.	132 के.व्ही. कोरबा-चांपो लाइन का पथ परिवर्तन	4.10 कि.मी.
11.	132 के.व्ही. कोरबा (पश्चिम) पा. हा. से दर्री लाइन	5.00 कि.मी.
12.	132 के.व्ही. उपकेन्द्र तुलसी को जोड़ने वाली डीसीएसएस लाइन.	5.00 कि.मी.
13.	132 के.व्ही. भाटापारा-मुंगेली लाइन को लूप इन लूप आउट करके प्रस्तावित नवागढ़ उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	14.00 कि.मी.
14.	132 के.व्ही. धमधा-साजा डीसीएसएस लाइन	24 कि.मी.
15.	132 के.व्ही. एलाइड स्टील टाटीबंध से सरोना (टाटीबंध) प्रस्तावित उपकेन्द्र को जोड़ने वाली लाइन.	3 कि.मी.
16.	132 के.व्ही. भिलाई से रुआबांधा तक 132 के.व्ही. वर्तमान लाइन को डबल सर्किट.	19 कि.मी.
17.	132 के.व्ही. लीलो लाइन (भिलाई-दल्लीराजहरा) गुंडरदेही उपकेन्द्र हेतु.	10 कि.मी.
18.	132 के.व्ही. लीलो लाइन (रायगढ़-सारंगढ़) बरमकेला उपकेन्द्र हेतु.	18 कि.मी.
19.	132 के.व्ही. लीलो लाइन (भिलाई-बीरगांव) सेक्टर सी उरला उपकेन्द्र हेतु.	3 कि.मी.
20.	220 के.व्ही. उपकेन्द्र रायगढ़ से 132 के.व्ही. सारंगढ़ एवं चांपा-रायगढ़ लाइन को जोड़ना.	1.5 कि.मी.
21.	232 के.व्ही. लाइन मेसर्स नोको जायसवाल हेतु	4.00 कि.मी.
22.	मेसर्स मोनेट इस्पात हेतु 132 के.व्ही. लाइन	0.11 कि.मी.
23.	मेसर्स एनएमडीसी नगरनार हेतु 132 के.व्ही. लाइन	32 कि.मी.

3. **अनुमानित लागत** :—उपरोक्त कार्यों की अनुमानित लागत 718.00 करोड़ रुपये है.

4. **खम्बे, तार आदि लगाने का अधिकार :—**
विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए तथा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नल पारेषण हेतु टावर, खम्बे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे, यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को वे सभी अधिकार हैं, जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 भाग तीन की धारा 12 के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किए जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त है.

5. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इसमें अभिरुचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी व्यक्ति को इन परियोजनाओं के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो वह अपना आपत्ति-पत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह के अंदर प्रस्तुत कर सकता है. इसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा.

बी. के. शर्मा,
सदस्य-सचिव.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD, RAIPUR

Raipur, the 3rd August 2004

No. CSEB/Sect./Notification/113.—Govt. of Chhattisgarh constituted Chhattisgarh State Electricity Board as per Section-5 of Electricity Supply Act 1948, which is presently functioning as State Transmission Utility and a licensee as per provision 172 (a) of Electricity Act 2003. Board has proposed following infrastructural works related to transmission of power which are essential for improvement of existing Transmission & Distribution network, and also required to provide uninterrupted, continuous quality power to the consumers of the State. Therefore, this notice is published for inviting objections, if any, on these works which are proposed in public interest.

Now, therefore the CSEB hereby notifies the schemes (Projects) as here under :—

1. **Name** :—The project shall be called projects for construction of 400 KV, 220 KV & 132 KV lines & Sub-station and related works.

2. **Area** :— The area of the project shall be as under :–

(a) **220 KV Sub-stations :—**

S. No.	Name of Sub-station	Capacity
1.	220 KV S/S Bemetara	1 x 160 MVA & 1 x 40 MVA
2.	220 KV S/S Mahasamund	1 x 160 MVA & 1 x 20 MVA
3.	220 KV S/S Champa	1 x 160 MVA & 1 x 40 MVA
4.	220 KV S/S Bishrampur	1 x 160 MVA

(b) **132 KV Sub-stations :—**

S.No..	Name of Sub-station	Capacity
1.	132 KV S/S Gharghoda	2 x 12.5 MVA
2.	132 KV S/S Pithora	1 x 20 MVA
3.	132 KV S/S Balrampur	1 x 20 MVA
4.	132 KV S/S Jashpur	1 x 20 MVA
5.	132 KV S/S Tulsi	1 x 20 MVA
6.	132 KV S/S Nawagarh	1 x 40 MVA
7.	132 KV S/S Saja	1 x 20 MVA
8.	132 KV S/S Sarona (Atari) Tatiband	1 x 40 MVA
9.	132 KV S/S Gunderdehi	1 x 40 MVA
10.	132 KV S/S Baramkela	1 x 40 MVA
11.	132 KV S/S Sector "C" urla.	1 x 40 MVA

(c) **Augmentation of Transformer Capacity :—**

S.No..	Name of Sub-station	Capacity
1.	220 KV S/S Urla	1 x 160 MVA & 1 x 40 MVA Addl.
2.	220 KV S/S Raigarh	1 x 40 MVA Addl.
3.	220 KV S/S Gurur	1 x 160 & 1 x 40 MVA Addl.
4.	132 KV S/S Baloda Bazar	1 x 40 MVA Addl.
5.	132 KV S/S Sarangarh	1 x 40 MVA Addl.
6.	132 KV S/S Sakti	1 x 40 MVA Addl.
7.	132 KV S/S Akaltara	1 x 40 MVA Addl.
8.	132 KV S/S Ambikapur	2 x 20 to 2 x 40 MVA
9.	132 KV S/S Mopka	20 to 40 MVA
10.	132 KV S/S Raigarh	2 x 20 to 2 x 40 MVA
11.	132 KV S/S Bishrampur	16 to 40 MVA
12.	132 KV S/S Jagdalpur	20 to 40 & 12.5 to 20 MVA
13.	132 KV S/S Kirandul	12.5 to 20 MVA

S.No..	Name of Sub-station	Capacity
14.	220 KV S/S Korba (East) P. H.	20 to 40 MVA
15.	220 KV S/S Korba (West) P. H.	1 x 100 MVA Addl.
16.	132 KV S/S Rajnandgaon	20 to 40 MVA
17.	132 KV S/S Simga	16 to 40 MVA
18.	132 KV S/S Darri	12.5 to 20 MVA
19:	132 KV S/S Patthalgaon	12.5 MVA Addl.
20.	132 KV S/S Kawardha	20 MVA Addl.
21.	132 KV S/S Kanker	20 MVA Addl.
22.	132 KV S/S Ruabandha	40 MVA Addl.
23.	132 KV S/S Kachna	40 MVA Addl.
24.	220 KV S/S Bhatapara	160 MVA Addl.

(d) 400 KV Transmission Lines :—

S. No.	Name of Line	Length
1.	400 KV DCDS line from Korba (West) P.H. to Khedamara Bhilai.	200.00 KM
2.	400 KV DCDS Inter connector between Korba (West) Power House to NTPC Korba.	6.00 KM

(e) 220 KV Transmission Lines :—

S.No.	Name of Line	Length
1.	220 KV DCDS Line from Korba (East) P.H. to Bhatapara.	120.00 KM
2.	220 KV DCDS line from Bhatapar to Bemetara	60.00 KM
3.	220 KV LILO of Bhatapara-PGCIL line to 220 KVS/S Urla.	10.00 KM
4.	220 KV DCDS line from Bhatapara to Mahasamund.	82.00 KM
5.	220 KV LILO of Bhilai- Barsoor IInd Ckt to 220 KVS/S Gurur.	6.50 KM
6.	Diversion of 220 KV DCDS inter connector Korba (E) to Korba (W).	4.10 KM
7.	LILO of 220 KV Korba East-Bhatapara Ckt-I 220 KVS/S Champa.	15.00 KM
8.	220 KV DCDS Inter connector Korba (E) to Korba (W).	6.00 KM
9.	220 KV DCDS Inter connector between 400 KVS/S PGCIL Bhatapara & existing 220 KVS/S Bhatapara.	5.00 KM
10.	LILO of 220 KV proposed Korba East Bhatapara Line at 400 KV PGCIL S/S Bhatapara	8.00 KM
11.	220 KV DCDS Interconnector between 100 MW Korba (East) power House to Korba (West) Power House.	06 KM
12.	220 KV II Ckt stringing of Urla-Siltara Rajinder Steel line.	07.00 KM
13.	Constn. of 220 KV line from Siltara to Switching S/S Siltara.	02.19 KM
14.	Constn. of 220 KV DCDS line from Korba to Bishrampur.	150.00 KM

(f) **132 KV Transmission Lines :—**

S.No.	Name of Line	Length
1.	Stringing of 132 KV IInd Ckt Bishrampur-Ambikapur line.	25.00 KM
2.	132 KV DCDS line for 132 KV S/S Gharghoda	5.00 KM
3.	132 KV DCSS line from Kotmikala to Manendragarh.	60.00 KM
4.	132 KV DCSS line from Saraipali to Pithora	60.00 KM
5.	132 KV DCSS line from Bishrampur to Balrampur	90.00 KM
	132 KV DCSS line from Pathalgaon to Jashpur Nagar.	105.00 KM
7.	132 KV LILO of Korba (E)-Bilaspur II Ckt line to 132 KVS/S Mopka.	5.00 KM
8.	132 KV II Ckting of Raigarh-Sarangarh line	49.00 KM
9.	132 KV II Ckting of Sarangarh-Saraipali line	57.00 KM
10.	Diversion of 132 KV Korba-Bango line	4.10 KM
11.	132 KV DCDS line from Korba (West) P.H. to Darri S/S.	5.00 KM
12.	132 KV DCSS line for 132 KVS/S Tulsi	5.00 KM
13.	LILO of 132 KV Bhatapara-Mungeli line for Nawagarh S/S.	14.00 KM
14.	132 KV DCSS Dhamdha-Saja line	24.00 KM
15.	132 KV Line from Allide Steel Tatibandh to Sarona (Tatibandh) S/S.	03.00 KM
16.	Double Circuting of Bhilai-Ruabandha line	19.00 KM
17.	132 KV LILO of Bhilai-Dalli Rajhara line for Gunderdehi S/S.	10.00 KM
18.	132 KV LILO of Raigarh-Sarangarh line for Baramkela S/S.	18.00 KM
19.	132 KV LILO of Bhilai-Birgaon line for Sector-"C" Urla S/S	03.00 KM
20.	I/C of Sarangarh and Champa-Raigarh line from 220 KVS/S Raigarh.	01.50 KM
21.	132 KV line for M/s. NECO Jaiswal	04.00 KM
22.	132 KV line for M/s. Monnet Ispat	00.11 KM
23.	132 KV line for M/s. N.M.D.C. Nagarnar	32.00 KM

3. **Estimated Cost** :—The estimated cost of above works is Rs. 718.00 Crs.

4. **Rights to erect Poles & Stringing etc. :—**
Under section 164 of Electricity Act 2003, the Chhattisgarh State Electricity Board has all the powers to erect Towers, Poles, Brackets, Stay & other equipments and stringing of lines for the transmission of Power & Telephonic & Telegraphic Signals which are conferred to the Indian Telephone & Telegraph authority under Indian Telegraphic Act 1885 Part-III section-12 for the maintenance of existing or future telegraphic network.

5. It is therefore notified that any person having interest in any of the aforesaid projects may lodge his objections if any, within 2 months from the date of publication of this notificaion. Any objections received there after shall not be considered.

B. K. SHARMA.
Member Secretary.